मध्यप्रदेश शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक 8452/22/वि–9/आर.जी.एम./96 भोपाल, दिनांक 16 मई 96

आदेश क्रमांक – 7

प्रति,

1. अध्यक्ष, (समस्त)
   जिला पंचायत, मध्यप्रदेश
2. कलेक्टर, (समस्त)
   मध्यप्रदेश
3. परियोजना अधिकारी, (समस्त)
   जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, मध्यप्रदेश
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जनपद पंचायत (उक्त जिलों से संबंधित, समस्त)
5. परियोजना अधिकारी,
   मिली जलग्रहण क्षेत्रा (समस्त)

विषयः **राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्रा विकास कार्यक्रम के संबंध में विभिन्न योजनान्तर्गत दिशा–निर्देश।**

जलग्रहण क्षेत्रा विकास कार्यक्रम के संबंध में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा पूर्व में आदेश क्रमांक–2 दिनांक 25–7–95ए आदेश क्रमांक–4 दिनांक 8–11–95ए आदेश क्रमांक–5 दिनांक 1–12–95 एवं आदेश क्रमांक–6 दिनांक 4–3–96 को जारी किये गये हैं। उन आदेशों के तारतम्य में जलग्रहण क्षेत्रा विकास कार्यक्रम पर यह अगला आदेश है। कृपया इस परिपत्रा को कार्यालय कलेक्टर, जिला पंचायत, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण परियोजना अधिकारी, मिली वाटरशेड एवं जनपद पंचायत कार्यालयों में व्यापक रूप से प्रसारित करें तथा इसकी एक प्रति सभी कार्यालयों की गार्ड नस्ती में रखें।

राजीव गांधी वाटरशेड मिशन मे अंतर्गत डी.पी.ए.पी., ई.ए.एस. एवं आई.डब्ल्यू.डी.पी. के अंतर्गत वाटरशेड उपचार कार्य सम्पादित किये जाते हैं। इन कार्यों/गतिविधियों को सम्पन्न करने में एकरूपता की दृष्टि से निम्न निर्देश जारी किये जाते हैं–

1. प्रशासकीय स्वीकृति :–

1.1 डी.आर.डी.ए. स्तर से वाटरशेड विकास की चार वर्षीय कार्य योजना जिसका सकल क्षेत्रा 5000 हेक्टर तक है, की कार्यवार या मदवार अलग–अलग स्वीकृति दिये जाने के स्थान पर एक मुश्त प्रशासकीय स्वीकृति संलग्न प्रपत्रा–एक के अनुसार ही दी जावे। योजना की प्रति हैक्टर औसत लागत रु. 4000/– (रुपये चार हजार मात्रा) से अधिक नहीं होगी। प्रशासकीय स्वीकृति आदेश जिले के कलेक्टर एवं मिशन लीडर द्वारा जारी किया जावेगा।

कलेक्टर (मिशन लीडर) द्वारा जारी प्रशासकीय आदेश की प्रति विकास आयुक्त, मध्यप्रदेश एवं मिशन संचालक को भेजी जावेगी।

1.2 5000 हेक्टर से अधिक की कार्य योजनायें स्वीकृति के लिये मिशन संचालक को भेजी जावें।

13 स्वीकृत कार्य योजना की एक प्रति जिला स्तर पर डी.आर.डी.ए. में, एक प्रति परियोजना अधिकारी, मिली वाटरशेड स्तर पर तथा एक प्रति सभी ग्राम स्तरीय वाटरशेड कमेटियों के सचिव के पास रखी जावेगी।

1.4 स्वीकृत की गई चार वर्षीय योजना में केवल प्रथम अथवा प्रथम तथा द्वितीय वर्ष के कार्यों का विस्तृत प्राक्कलन तथा ड्राइंग होंगे। तीसरे तथा चौथे वर्ष के लिये बाद में विस्तृत कार्य योजना बनाई जा सकती है तथा उस भाग के लिये बाद में स्वीकृति दी जा सकती है।

1.5 प्रशासकीय स्वीकृति देते समय ड्राइंग एवं प्राक्कलनों का सूक्ष्म परीक्षण जिला स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा किया जाना अनिवार्य है।

1.6 स्वीकृत कार्य योजना में उल्लेखित कार्यों की ड्राइंग, प्राक्कलन एवं अन्य विवरण ग्राम स्तरीय वाटरशेड कमेटी, परियोजना अधिकारी, मिली वाटरशेड एवं जिला स्तर पर डी.आर.डी.ए. में अनिवार्य रूप से रखे जावेंगे।

1.7 वाटरशेड की कार्य योजना को स्वीकृति देने के पूर्व निम्न विवरणों की पुष्टि की जावे :

1.7.1 मिली वाटरशेड का कोड नम्बर, सकल क्षेत्राफल, तथा कार्य योजना में लिया क्षेत्राफल।

1.7.2 चार साल के लिये प्रस्तावित ग्रामवार गतिविधियां। पहले और दूसरे वर्ष की गतिविधियों का पूर्ण तथा शेष अवधि की गतिविधियों का प्रपत्रा एक में अंकित आवंटन सीमा के अनुसार उल्लेख।

1.7.3 समाज को गतिशील बनाने, उपयोगकर्ता एवं स्वावलम्बन दलों को गठित करने की प्रक्रिया एवं उसमें लगे समय का विवरण।

1.7.4 सभी उपयोगकर्ता एवं स्वावलम्बन दलों की तथा उनके सदस्यों की सूची।

1.7.5 वाटरशेड कमेटी के सदस्यों की सूची तथा अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण।

1.7.6 पंचायत का संकल्प जिसमें ग्रामीण समाज द्वारा वाटरशेड कार्यों के लिये योगदान देने एवं चार वर्ष बाद निर्मित संरचनाओं के संचालन/रख–रखाव के दायित्व वहन करने विषयक अनुमोदित लिखित प्रस्ताव जिसमें सभी विवरण अंकित होंगे।

1.7.7 ग्रामवार कार्य योजना के अन्त में खसरा मेप अर्थात पटवारी नक्शे पर प्रस्तावित संरचनाओं के निर्माण स्थल का अंकन।

2. कार्य योजना में हितग्राहियों का चयन :–

कार्य योजना के अंतर्गत निम्न प्रमुख दो वर्गों की आवश्यकतानुसार निम्न गतिविधियां निर्धारित की जावेगी :

स.क्र.	वर्ग	प्रमुख गतिविधियां
1.	भूमि स्वामी	मिट्टी और पानी से संबंधित गतिविधियां
2.	भूमिहीन, सीमान्त एवं लघु कृषक एवं आय	गैर कृषि गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम अर्जित करने वाली गतिविधियां तथा गतिविधि हेतु वांछित प्रशिक्षण।

2.1 भू–स्वामियों (शासन, पंचायत या खातेदार) की भूमि पर मिट्टी और पानी संबंधी वे उपचार लिये जावेंगे, जिनका प्रत्यक्ष भौतिक लाभ ग्रामीण समाज के निर्धारित समूह (उपयोगकर्ता दल) को प्राप्त होता है। संरचनाओं का निर्माण उन पर विपरीत प्रभाव डालने वाले कारकों को समाप्त या अप्रभावी करने के उपरान्त किया जावेगा।

2.2 कार्य योजना में भूमिहीनों, सीमान्त एवं लघु कृषकों के लिये आय बढ़ाने वाली विभिन्न गतिविधियां अनिवार्य रूप से सम्मिलित की जावेंगी, ताकि कार्य योजना की समाप्ति, अर्थात चार वर्ष के उपरान्त, यह वर्ग गरीबी रेखा से ऊपर उठ सके तथा आय अर्जित करने वाली विभिन्न गतिविधियों से जुड़ सके एवं कार्य योजना की समाप्ति के उपरान्त शासन को उन क्षेत्रों में रोजगार खोलने की आवश्यकता न रहे।

3. कार्य योजना में गतिविधियों का चयन :–

वाटरशेड कार्य योजना के अंतर्गत निम्न निर्देशों का पालन नीचे दर्शाये क्रम में सम्पन्न किया जावे :–

3.1 रिजलाईन से भूमि कटाव एवं जल प्रवाह नियंत्राण कार्य पहले पूरे किये जावें। यह कार्य माह अक्टूबर से जून के बीच पूरे किये जाने चाहिये।

3.2 चयनित ग्रामों में यथा संभव सभी गतिविधियां एक साथ प्रारंभ कर उन्हें समाप्त किया जावे। विभिन्न गतिविधियों को निम्न क्रम में आयोजित किया जावे :–

अ. पहले वर्ष में रिजलाईन तथा ढाल पर भूमि कटाव रोकने एवं जल प्रवाह नियंत्राण करने वाली गतिविधियां जून माह तक पूर्ण की जावें ताकि इन क्षेत्रों में जल संरक्षण तथा चारा उत्पादन का भी लाभ समाज को प्राप्त हो सकें।

ब. दूसरे वर्ष में निचले क्षेत्रों में सतही एवं भूमिगत जल संग्रह, वृक्षारोपण एवं अन्य गतिविधियों को लिया जावें।

स. तीसरे तथा चौथे वर्ष में अन्य विविध कार्यक्रमों को इस प्रकार संचालित किया जावे कि सम्पूर्ण ग्रामीण समाज कार्य योजना से लाभान्वित हो सके और पलायन तथा सूखे के कुप्रभाव को कम किया जा सके।

4. प्रशिक्षण में सहयोग :–

4.1 पैरा–2 में उल्लेखित वर्गों के लिये वाटरशेड के प्रशिक्षण मद तथा ट्रायसेम के अंतर्गत उपलब्ध प्रशिक्षण व्यवस्था का अधिकाधिक उपयोग किया जावे।

5. शासन की अन्य योजनाओं से समन्वय :–

5.1 मध्यप्रदेश शासन के ग्रामीण विकास विभाग एवं अन्य विभागों की कार्य योजनाओं को वाटरशेड क्षेत्रा के निवासियों के लिये अधिकाधिक मात्राा में प्रारंभ कराया जावे, ताकि पैरा–2ण्2 में वर्णित वर्ग के लोग जीविका के अधिक से अधिक अवसर पा सकें।

5.2 पैरा–2 में वर्णित कार्यों के लिये शासन की विभिन्न योजनाओं के प्रावधानों और सुविधाओं का लाभ लिया जावे परंतु किसी भी स्थिति में वाटरशेड मद में उपलब्ध राशि को उन मदों पर व्यय नहीं किया जावे जिनके लिये अन्य योजनाओं में प्रावधान उपलब्ध हैं।

6. वाटरशेड कार्यों की निगरानी :–

6.1 डी.आर.डी.ए. स्तर पर एक तकनीकी समिति गठित की जावे। इस तकनीकी समिति के गठन संबंधी निर्देश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश क्रमांक–2 के पैरा–7.1.1 पर प्रावधानित है। यह तकनीकी समिति कार्यों के मार्गदर्शन, निगरानी तथा सत्यापन के कार्यों के अतिरिक्त योजना लाभों को सभी वर्गों तक पहुंचाना, सुनिश्चित करेगी तथा यह सुनिश्चित करेगी कि प्रस्तावित वाटरशेड कार्य योजना के लाभ भूमिहीनों, लघु एवं सीमान्त कृषकों को तथा अन्य कमजोर वर्गों को भी निश्चित रूप से प्राप्त हों। यह तकनीकी समिति समय–समय पर डी.आर.डी.ए. को अपने प्रतिवेदन देगी, ताकि कार्य योजना को अधिक बेहतर बनाया जा सके।

7. परियोजना समन्वयक की नियुक्ति :–

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश क्रमांक–4 (क्रमांक–20519/22/आर.जी.एम./वि–8/95 भोपाल, दिनांक 8/11/95) की तालिका–3, पृष्ठ–7 में परियोजना समन्वयक की एक–एक वर्ष के लिये संविदा नियुक्ति का प्रावधान है। संविदा पर नियुक्ति परियोजना समन्वयक के लिये निम्न न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की जाती है :–

1. सिविल एवं कृषि अभियांत्रिाकी में स्नातक डिग्री।
2. कृषि, उद्यानिकी, भू–विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, अर्थशास्त्रा, समाज शास्त्रा, वाणिज्य समाज कार्य में स्नातकोत्तर डिग्री।

पूर्व में नियुक्त परियोजना समन्वयक यदि उक्त न्यूनतम अहर्ता नहीं रखते हैं तो उनकी सेवायें 15–5–96 तक समाप्त करें।

8. हितग्राही का अधिकार :–

8.1 राजीव गांधी वाटरशेड मिशन द्वारा चयनित वाटरशेड ग्राम के सभी परिवारों को वाटरशेड कार्ड जारी कराया गया है। इस कार्ड का बंटना एवं उसमें गतिविधियों का अंकित किया जाना परियोजना अधिकारी, मिली वाटरशेड एवं वाटरशेड कमेटी के सचिव का दायित्व है। जिला स्तरीय तकनीकी सलाहकार समिति के सदस्यों का दायित्व है कि वे भी जब इन ग्रामों का भ्रमण करते हैं, तब इन

कार्डों का वितरण तथा उसमें अंकित गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। खामी पाये जाने की स्थिति में इस तथ्य की सूचना जिले के कलेक्टर तथा मिशन संचालक को दें।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करावें तथा समय–समय पर ली गई समीक्षा बैठकों से विकास आयुक्त एवं मिशन संचालक को अवगत करावें।

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण .....

प्रशासकीय स्वीकृति

1. जिला स्तरीय वाटरशेड सलाहकार समिति की बैठक दिनांक ..... में लिये निर्णय एवं अनुशंसानुसार डी.पी.ए.पी./ई.ए.एस./आई.डब्ल्यू.डी.पी. (जो लागू नहीं उसे काट दें) मद से राजीव गांधी वाटरशेड विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कंडिका–2 में उल्लेखित शर्तों पर निम्नानुसार प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। प्रशासकीय स्वीकृति से संबंधित मिली वाटरशेड का विवरण निम्नानुसार है–

;पद्ध मिली वाटरशेड क्रमांक .....

;पपद्ध विकास खण्ड का नाम .....

;पपपद्ध ग्रामवार क्षेत्राफल :–

	ग्राम का नाम	**क्षेत्राफल (हैक्टर)**
	क.	
	ख.	
	ग.	
	योग	

;पअद्ध चार वर्षीय योजना की मदवार लागत :–

मद	**प्रथम वर्ष (19)**	**द्वितीय वर्ष (19)**	**चार वर्षों हेतु कुल लागत**
	(रु. लाख में)	**(रु. लाख में)**	**(रु. लाख में)**
अ. प्रशासनिक मद (सकल योजना लागत का अधिकतम 10:)			
ब. कम्युनिटी आर्गेनाईजेशन (सकल योजना लागत का अधिकतम 5:)			
स. प्रशिक्षण (ग्रामीण) (सकल योजना लागत का अधिकतम 5:)			
द. आस्थामूलक कार्य (सकल योजना लागत का अधिकतम 5:)			
इ. वाटरशेड कार्य			
;पद्ध भूमि सुधार एवं भूमि संरक्षण (वाटरशेड योजना की लागत का अधिकतम 30:)			

;पपद्ध जल संवर्धन (40:)

अ सतही जल संवर्धन कार्य 20:(अधिकतम)

ब भू–जल संवर्धन कार्य 20:(अधिकतम)

;पपपद्ध वनीकरण (10:)

;पअद्ध चारागाह विकास (10:)

;अद्ध अन्य गतिविधियां (7.5:)

;अपद्ध स्वावलम्बी दल (2.5:) (न्यूनतम)

योग, वाटरशेड कार्य	
महायोग (सकल लागत)	

तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष के कार्यों की मदवार स्वीकृति, आवश्यक विवरण उपलब्ध कराने के उपरांत, ही दी जा सकेगी।

2. प्रशासनिक स्वीकृति पर लागू शर्तें :–

2.1 योजना अवधि :– वर्ष 19...... से 19....... तक होगी।

2.2 योजना राशि का निर्गम :– योजना राशि का निर्गम पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश क्रमांक–2 (क्रमांक–13908 / 22 / आर.जी.एम. / एस.जे. / वि–8 / 95 दिनांक 25.7.95) के अनुलग्नक क्रमांक–प्टए सहपाठित अनुलग्नक क्रमांक–[illegible] के अनुसार किया जावेगा। प्रशासनिक मद में उल्लेखित राशि का निर्गम पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश क्रमांक–2 (क्रमांक 13908 / 22 / आर.जी.एम. / एम.जे. / वि–8 / 95 दिनांक 25.7.95) के अनुलग्नक क्रमांक–[illegible] में वर्णित वेतन के अनुसार डी.आर.डी.ए., परियोजना अधिकारी, मिली वाटरशेड तथा ग्राम स्तरीय वाटरशेड कमेटियों को किया जावेगा।

2.3 वाटरशेड कमेटी, पी.आई.ए. तथा जिला स्तर पर व्यय की गई समस्त राशियां तथा प्राप्तियों का लेखा तथा कार्य की प्रगति का विवरण पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग म.प्र. शासन के आदेश क्र. 6 (क्रमांक 4636 / 22 / आर.जी.एम. / वि–9 / 96 दिनांक 4 मार्च 1996) के अनुसार अनिवार्य रूप से रखा जावेगा।

2.4 चार वर्ष बाद राशियों का आहरण तथा व्यय राज्य शासन की अनुमति उपरांत ही किया जा सकेगा।

2.5 कंडिका 1 के अनुसार मदवार दी गयी प्रशासकीय स्वीकृति से अधिक व्यय कदापि न किया जाये। विभिन्न मदों के अंतर्गत बचत की दशा में उसे अन्य मद में समायोजित नहीं किया जा सकेगा। इस प्रकार की बचत को डी.आर.डी.ए. में वापस किया जाना होगा। मदवार प्रावधानित राशि का किसी भी प्रकार से पुनर्वियोजन संभव नहीं है।

2.6 परियोजना के कार्यों का क्रियान्वयन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुरूप ही किया जावेगा।

3. तकनीकी स्वीकृतियां :–

3.1 परियोजना अधिकारी, मिली वाटरशेड द्वारा रुपये 2.00 (दो लाख मात्रा) की सीमा तक कार्यवार, यथा ट्रेंचिंग, वोल्डर चैक इत्यादि, तकनीकी स्वीकृति जारी की जावेगी। इनकी प्रशासकीय स्वीकृति योजना की स्वीकृति में निहित है अतः पृथक से नहीं दी जायेगी।

3.2 जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा रुपये 2.00 लाख से अधिक की संरचना की तकनीकी स्वीकृति जिला स्तरीय वाटरशेड सलाहकार समिति, आदेश क्रमांक–2, दिनांक 25–7–95 के पैरा 7.1.1 में उल्लेखित जिला स्तरीय तकनीकी सलाहकार समिति की अनुशंसा पर विशेष परिस्थितियों तथा अन्य विकल्प के अभाव में मिशन संचालक की सहमति के उपरान्त दी जा सकेगी।

4. योजना लागत की अधिकतम सीमा :–

4.1 वाटरशेड कार्य योजना का सकल व्यय रुपये 4000/– प्रति हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा तथा इसमें पैरा–1 में उल्लेखित सभी मद सम्मिलित हैं। योजना व्यय की उल्लेखित सीमा में परिवर्तन का अधिकार भारत सरकार द्वारा मानक परिवर्तन की स्थिति में ग्रामीण विकास विभाग के निर्देश पर संभव है।